न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

नजरसानी प्रा0 पत्र संख्याः—448/2019 (2019/00448)

1. गोविन्दराम पुत्र गोकुल जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बीर, तहसील व जिला अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

अप्रार्थी

नजरसानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज0काश्त0अधि0 1955.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 राजावत, वकील प्रार्थी ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार अप्रार्थी .
3.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थीना पत्र न्यायालय द्वारा अपील संख्या 399/2015/223 (2015/00159) बउनवान गोविन्दराम बनाम राज0सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.8.2018 के विरूद्ध पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
3. विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि हाजा न्याया0 ने अपने निर्णय में अपीलांट के मुख्य विधिक आधारों पर किसी प्रकार से विवेचन किये बिना पत्रावली पर दर्शित प्रथमदृष्टया विधिक त्रुटि कारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । हाजा न्यायालय ने प्रार्थी की ओर से मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद पर निर्णय दिनांक 31.8.2018के पैरा संख्या 4 में दिये गये विवेचन एवं निर्णय के तहत विवादित भूमि पर प्रार्थी का प्रथमदृष्टया हक अधिकार व आधिपत्य होना स्वीकार करते हुए प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार मानकर एक ओर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है तथा दूसरी ओर पैरा संख्या 7 के तहत अपने उक्त विवेचन, विश्लेषण एवं स्वीकृत दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर निर्णय दिनांक 31.8.2018 के तहत अपील खारिज करने में प्रथमदृष्टया त्रुटि कारित की है । बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि सुनवाई दिवस पर किसी भी न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए बिना साक्ष्य लिपिबद्ध किये सुनवाई कर निर्णय पारित नही किया जा सकता है। इस संबंध में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा मूल अपील के तहत स्पष्ट रूप से आधार उल्लेखित कर इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2011—12 पेज 519 सुप्रीम कोर्ट प्रस्तुत किया परन्तु उक्त विधिक आधार एवं न्यायिक दृष्टांत का किसी प्रकार से विवेचन व विश्लेषण नही कर केवल मात्र सरसरी तोर पर अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है।

विद्वान वकील अपीलांट/प्रार्थी ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा वर्तमान प्रकरण में वर्णित वादपत्र के साथ वाद संख्या 01/2015 मेथी बनाम सरकार एवं वाद संख्या 2/2015 मोतीलाल बनाम सरकार को भी राजस्व कैम्प बीर दिनांक 18.5.1915 के तहत निरस्त कर दिया था जिसके विरूद्ध अपील संख्या 307/2015 मेथी बनाम सरकार एवं 306/2015 मोतीलाल बनाम सरकार हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे भी विधिक प्रावधानों के विपरीत हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2015 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 ऐव 2/2016 प्रस्तुत की गई जिन्हें हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17.4.2017 से स्वीकार कर उक्त सभी निर्णय व उिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये गये है, के निर्णयों की प्रतियां अपील के साथ पेश की गई थी किन्तु हाजा न्यायालय द्वारा उनके संबंध में अपने निर्णय में किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया गया है । अतः श्रीमान् से निवेदन है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 399/2015 में पारित निर्णय दिनांक 31.8.2018 को निरस्त किया जावे ।

4. विद्वान वकील प्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.2018 की जानकारी दिनांक 18.9.2018 को होने पर प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 25.9.2018 को प्रमाणित प्रति प्रदान की गई तत्पश्चात् प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को नजरसानी प्रस्तुत किये जाने की विधिक सलाह दी गई परन्तु नजरसानी प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही प्रार्थी की पत्नि का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने से निर्धारित समयावधि में नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका । इस कारण नजरसानी प्रार्थना पत्र में विलंब हुआ है । अतः विलंब माफ किया जाकर नजरसानी प्रार्थना पत्र अंदर मियाद शुमार किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया है तथा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि नजरसानी का क्षैत्र बहुत ही सीमित है । विवादित भूमि चारागाह भूमि है जो प्रतिबंधित की श्रेणी में आती है । हाजा न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है यद्यपि उसके संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । हम न्यायहित में प्रार्थी को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र नजरसानी पेश किये जाने में हुआ विलंब न्यायाहित में क्षम्य किया जाता है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 399/2015/223 (2015/00159) बउनवान गोविन्दराम बनाम राज0सरकार को मुख्य रूप से विवादित भूमि को चारागाह भूमि होना मानकर आदेश दिनांक 31.8.2018 द्वारा खारिज की गई है जबकि हाजा न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पत्र क्रमांक दिनांक 19.3.2015 के तहत तहसीलदार, अजमेर से तलब की गई मौका रिपोर्ट जो कि दिनांक 24.3.2015 को विवादित भूमि से संबंधित अपील संख्या 69/2015 गोविन्द राम बनाम राज0सरकार में प्रस्तुत हुई।

उक्त रिपोर्ट दिनांक 24.3.2015 एवं वर्तमान जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 199 रकबा 0.08 व खसरा नंबर 200 रकबा 0.80 है0 किस्म चाही–2 होना प्रथमदृष्टया प्रमाणित है जिस विवादित भूमि पर प्रार्थी/अपीलांट श्री गोविन्दराम का कब्जा होकर गेहूं की फसल खड़ी होना स्वीकार किया गया है । इस प्रकार हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.8.2018 के तहत उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये जाने से रह गया जो कि पत्रावली पर दर्शित प्रथमदृष्टया त्रुटि रही है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य एवं हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.2018 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा अपील संख्या 399/2015 बउनवान गोविन्दराम बनाम सरकार में हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.8.25018 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 23/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी को सुनवाई, सबूत एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर